


30.11.20

वनोपयोगी जमीन उपस्थित। वकील जमीन द्वारा डिप्टी
मुनाकिश शिवम रिपोर्ट में अंकन होगा बताया।
पत्रावली में कोई बाधिकाही शेष नहीं है। ऊपर
जार्जना - पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नंबर
के कम होकर डीपीएल डफ्तार हो।

आदेशानुसार व्यवहार हुआ होगा।


उपखण्ड अधिकारी
सुरतगढ़

